उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–10

उपस्थित– माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)

निर्देश याचिका संख्या–1371/2017

विकास शर्मा, आयु लगभग 50 वर्ष, पुत्र श्री ए0 शर्मा। वर्तमान तैनाती बतौर एएसआई (एम) 44 बटालियन पी.ए.सी., मेरठ, उ0प्र0।

याची।

बनाम

1 उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, (गृह) विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2 पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, पश्चिमी जोन, मुरादाबाद।
3 पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, मेरठ अनुभाग मेरठ।
4 सेनानायक, 44वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ।

विपक्षीगण।

उपस्थित अधिवक्तागण :–
श्री राजेश कुमार वर्मा एवं श्री जनार्दन पाण्डे (अधिवक्तागण) (याची)
विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (विपक्षीगण)

निर्णय

द्वारा : माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)

प्रस्तुत निर्देश याचिका याची द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत, योजित करते हुए निम्नांकित अनुतोष प्रदान किये जाने की याचना की है –

I. **This Hon'be Tribunal may kindly be pleased to quash the impugnedpunishment order dated 26-02-2015, appellate order dated 09-04-2016 and revisional order dt. 05-07-2016 contained as (Annexure no.1, 2 &3) to this claim petition with all consequential service benefits and direct to the opp. parties expunge the adverse remarks from the character roll of the petitioner and also paid the salary of seven days if deducted from the salary @18% p.a.**

II. **This Hon'ble Tribunal may further be pleased to pass such other order which are found fit and proper under circumstances of the case including cost against the opposite parties.**

2 संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की नियुक्ति एसआई (एम) के पद पर की गयी थी। वह जब विपक्षी सं0–4 के अधीन कार्यरत था, तब याची को एक कारण बताओ नोटिस इस आशय का कि क्यों न उसे 07 (सात) दिवस के वेतन के बराबर अर्थदण्ड से दण्डित कर दिया जाय, निर्गत किया गया, किन्तु उसे प्रारम्भिक जांच के दौरान गवाह द्वारा दर्ज किये गये बयान की प्रति प्रदान नहीं की गयी। कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्त करने के बाद याची दि0–30.01.2015 से 14.03.2015 तक अवकाश पर चला गया जिसे विपक्षी सं0–4 द्वारा स्वीकृत किया गया था। उक्त

रक्तचाप की गंभीर बीमारी के कारण वह समयान्तर्गत स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं था और कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के ठीक बाद 26.02.2015 को दण्डादेश जारी किया गया। आलोच्य दण्डादेश से क्षुब्ध होकर याची द्वारा विपक्षी सं0–3 के समक्ष अपील मय विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र, दि0– 8.02.2016 को प्रस्तुत की गयी जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा दि0–09.04. 2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर याची द्वारा दि0–02.05.2016 को पुनरावेदन विपक्षी सं0–2 के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे आदेश दि0–05.07.2016 के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया और याची को दि0–02.08.2016 को यह आदेश तामील किया गया। उपरोक्त दण्डादेश, अपीलीय आदेश साथ ही साथ पुनरावेदन पर पारित आदेशों के उपरांत याची के समक्ष अन्य कोई विकल्प न होने पर इस आधिकरण के समक्ष प्रस्तुत याचिका योजित करते हुए उपरोक्त आदेशों को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

3 विपक्षीगण की ओर से लिखित विवेचन दाखिल करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि याची वर्ष 2014 मे जब 44वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ की आंकिक शाखा में नियुक्त थे, तो बिल क्रमांक 1 से 14 तक दिनांक 10.11.2014, 15.11.2014 एवं दिनांक 22.11.2014 को शाखाओं से उनके द्वारा प्राप्त किये गये इन बिलों को दिनांक 25.11.2014 तक ट्रेजरी में जमा किया जाना था, किन्तु याची द्वारा ऐसा नहीं किया गया एवं दिनांक 06.12.2014 को भी बिल जमा न कर दिनांक 08.12.2014 को विलम्ब से बिल ट्रेजरी में जमा किये गये, क्रमांक संख्या 1 से 14 तक के बिलों से क्रम 1,2,3,4,10,11,12,13,14 तक के टोकन दिनांक 15.12.2014 क्रम संख्या 7,8,9 के टोकन दिनांक 11.12.2014 एवं क्रम संख्या 5, 6 के टोकन दिनांक 12.12.2014 को प्राप्त हुए। इन सभी टोकन को दिनांक 16.12.2014 को विलम्ब से सम्बन्धित के खाते में डाला गया, याची के कृत के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच करायी गयी, जांच आख्या दिनांक 03.02.2015 द्वारा याची को क्रमांक 1 से 14 तक के लेखन सामग्री/पेट्रोल/मरम्मत आदि के बिलों को विलम्ब से ट्रेजरी में जमा किये जाने एवं बिलों के प्राप्त टोकन को समय से सम्बन्धित के खाते में न डाले जाने के लिए कर्तव्य में लापरवाही व शिथिलता बरतने का दोषी पाया गया। याची द्वारा अपने कर्तव्यपालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता तथा अर्कमण्यता बरतने का परिचायक मानते हुए उसको एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.02.2015 मय प्रारम्भिक जांच आख्या निर्गत किया गया जिसे याची ने दिनांक 10.02.2015 को मय प्रारम्भिक जांच आख्या के साथ प्राप्त करने के उपरान्त भी अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया, ऐसी स्थिति में प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम आदेश पारित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न शेष नही रह गया, अतः कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित 07 दिवस वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया। जिसकी प्रति याची द्वारा दि0–03.03.2015 को प्राप्त की गयी और इस आदेश के विरूद्ध अपनी अपील याची द्वारा दि0–18.02.2016 को प्रेषित की गयी, जबकि उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991, के नियम 20(6) में स्पष्ट प्राविधान है कि कोई अपील तब तक ग्रहण न की जायेगी, जब तक की वह उस दिनांक से सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को दण्डादेश की सूचना दे दी गयी थी, के तीन माह के अन्दर प्रस्तुत न की जाये, परन्तु अपील अधिकारी स्वविवेक से उक्त अवधि को दर्शाये गये अच्छे कारणों के आधार पर 06 माह तक बढ़ा सकता है।" जबकि याची ने अपील में अंकित किया कि वह साइकेटिश स्पेस्लिट के यहां चिकित्साधीन रहा है, इस कारण समय से अपील प्रेषित नहीं कर सका। याची द्वारा दण्डादेश प्राप्त करने के 01 वर्ष पश्चात काफी विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है, याची द्वारा प्रस्तुत अपील कालबाधित है, जिस पर नियमानुसार विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

विपक्षीगण के अनुसार याची ने अपीलीय आदेश दिनांक 09.04.2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में अंकित बिन्दुओं/तथ्यों एवं प्रकरण से सम्बन्धित अपील/दण्ड पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन/अध्ययन किया गया, तो याची के विरूद्ध की गयी विभागीय कार्यवाही में किसी प्रकार की प्रकियात्मक त्रुटि नहीं हुई है तथा न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन हुआ है, इसके अतिरिक्त याची द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण तर्क/आधार भी प्रस्तुत नहीं किया जिस पर विचार किया जा सके, याची के विरूद्ध पारित आदेश स्व स्पष्ट एवं मुखर है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, याची द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में कोई बल नहीं पाया गया, एतद्द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका बलहीन/आधारहीन होने के कारण अस्वीकृत की गयी। प्रश्नगत प्रकरण में करायी गयी जांच से याची को प्रश्नगत बिलों को विलम्ब से ट्रेजरी में जमा किये जाने तथा बिलों के प्राप्त टोकन से धनराशि को समय से सम्बन्धित के खाते में न डाले जाने के लिए कर्तव्यपालन में बरती गयी लापरवाही व शिथिलता बरते जाने का दोषी पाये जाने पर ही आलोच्य दण्डादेश पारित किये गये। याची यदि हाइपरटेंशन से ग्रसित था और कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर प्रेषित करने के लिए स्वस्थ नहीं था तो याची को अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग करना चाहिए था, परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है और निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी याची द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया, स्पष्टीकरण के अभाव में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन/परिशीलन करने के उपरान्त ही अंतिम आदेश पारित किया गया जो विधिसम्मत एवं नियमों के अनुकूल है। याची को उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991, नियम–14 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त बचाव के युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किये गये, किन्तु याची ने उक्त बचाव के अवसरों का उपभोग नहीं किया जिसका दयित्व याची पर ही है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 26.02.2015, अपीलीय आदेश दिनांक 09.04.2016 एवं पुनरीक्षण आदेश दिनांक 05.07.2016 जो सकारण, मुखरित, निष्कर्ष सहित, विधिक, नियमित द्विपक्षीय, नियमों प्राविधानों एवं सौम्य न्याय के सिद्धान्तों तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुसरण करते हुए ही पारित किया गया है, उक्त दण्डादेश को यथावत रखते हुए याचिका सव्यय निरस्त होने योग्य है। याची किसी भी अनुतोष को पाने का अधिकारी नहीं है।

4 याची की ओर से लिखित विवेचन के विरूद्ध प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करते हुए याचिका के तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5 याची के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से परिशीलन किया गया।

6 विपक्षीगण का यह तर्क कि अपील कालबाधित है इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट ए नं0–7303/2022 कृष्ण पाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग एवं चार अन्य में निर्देशित करते हुए कहा गया है कि समय–सीमा की गणना अंतिम आदेश से की जायेगी न कि प्रथम आदेश से, जैसा कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित मामले में अंकित किया गया है, जो कि निम्नवत् है –

It is not in dispute that vide order dated. 10.06.2017 passed by the opposite party no.4/Senior Superintendent of Police, Kanpur Nagar, the punishment of censure was awarded to the petitioner and thereafter, he filed an appeal under Rule 20 of the Rules, 1991, which was belated and being so the same was also

dismissed onthe ground of limitation vide order dated 20-08-2020 and thereafter, a revision petition was filed under Rule 23 of the Rules, 1991, which was rejected by the Revisional Authority/opposite pary No.3 (Inspector General of Police Kanpur Zone, kanpur) after considering the merits of the matter vide order dated 08-01-2021. Thereafter, a claim petition was filed before the Tribunal within one year from the date of passing the order by Revisional Authority i.e. 08-01-2021 and the Tribunal rejected the claim petition of the petitioner vide order dated 05-08-2021 considering the limitation w.e.f. the date of initial orer of punishment of censure, dated 10.06.2017. However, Section 5(1)(b)(i) & (ii) of U.P. Public Servant (Tribunal) Act, 1976 provides that limitation would be counted from the date of final order passed on statutory representation, appeal, revison or petition, as the case may be. The judgment of the Division Bench of this Court in the case of Amar Nath Singh (Supra) also provides the same.

माननीय न्यायालय के उपरोक्त दिशा निर्देश के आलोक में विपक्षीगण का यह तर्क कि यह याचिका कालबाधित है, आधारहीन हो जाता है।

7 दण्डादेश संलग्नक सं0–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दण्ड पारित करने वाले अधिकारी ने याची को केवल इस कारण दण्डित किया है कि उसने निर्धारित समयवाधि में लिखित स्पष्टीकरण उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था जिसके कारण सेनानायक 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि याची को अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है और उसे आरोप स्वीकार हैं। यह पूर्णतः विधि में अस्वीकार्य निष्कर्ष है क्योंकि यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि दण्डादेश पारित करने वाले अधिकारी को स्वयं आरोपों को स्थापित करना होता है। अपचारी कर्मचारी को केवल इसलिए दण्डित नहीं किया जा सकता कि वह अपनी निर्दोषिता सिद्ध नहीं कर पाया है। यह सिद्धान्त उन परिस्थितियों में भी लागू होता है जबकि अपचारी कर्मचारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा *रिट–ए नं0–301/2023 स्टेट ऑफ यू0पी0 द्वारा प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह, पुलिस अनुभाग–1 उ0प्र0 लखनऊ व अन्य बनाम तेजपाल गौतम* के वाद मे निर्देशित किया गया है कि **"The punishment order merely states that the respondent did not submit his reply to the show cause notice and the disciplinary authority could not find any material on the basis whereof the respondent could be exonerated of the charges. The disciplinary authority has not mentioned any material which could establish the guilty of the respondent. The general principle regarding discharge of the burden of proof applies to disciplinary proceedings also and for passing an order of punishment, it is necessary that the charges against the employee be established so as to prove the guilt and an employee cannot be punished merely because he could not prove his innocence." (Para-9)**

यदि यह मान भी लिया जाये कि याची द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया तब भी दण्डाधिकारी का यह दायित्व था कि वह प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार कर कोई आदेश पारित करते परन्तु उनके द्वारा ऐसा न कर मात्र याची द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के कारण उसे दण्डित किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा *रमेश मोहन शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2015 (33) एल0सी0डी0, 2807* में दी

गयी विधि व्यवस्था के विपरीत है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"Non-participation of an employee in the enquiry would not entitle him to challenge the same on the ground of violation of principles of natural justice but it does not spare the employer from the duty to establish the charges of misconduct by leading appropriate evidence."

8 उल्लेखनीय है कि याची के विरूद्ध जो जांच की गयी है उस जॉच रिपोर्ट में याची के सहकर्मी आमिर खॉ एएसआई (एम) का बयान अंकित है जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि याची विकास शर्मा 02 माह से आंकिक शाखा में नियुक्त है और वह अपने कार्य के प्रति पूर्णतया सजग है। स्वयं याची का भी बयान जांच में अंकित किया गया है जिसने अपने बयान में कहा है कि आंकिक शाखा में उसे कार्य करते हुए केवल 03 माह ही हुआ है। कोषागार में प्रत्येक माह की दि0–25 से से दि0–05 तक बिल प्राप्त नहीं किये जाते हैं और उसके बाद 02 दिनों का राजकीय अवकाश हो गया था और पुनः वह राजकीय कार्य से लखनऊ चला गया था जिसके कारण बिल समय से जमा नहीं किये जा सके। यद्यपि कि जांच अधिकारी ने अपने जांच निष्कर्ष में उस राजकीय आदेश की प्रति प्राप्त करने का प्रयास किया था जिसके आलोक में याची लखनऊ गया था किन्तु वह प्रति उन्हें समय से प्राप्त नहीं हो सकी और उन्होंने याची के विरूद्ध निष्कर्ष निकाल लिया। इस तथ्य की अनदेखी दण्डादेश पारित करने वाले अधिकारी एवं अपीलीय एवं पुनरीक्षण आदेश पारित करने वाले अधिकारीगण द्वारा भी की गयी। जांच से यह स्पष्ट है कि याची आंकिक शाखा में नव–नियुक्त था और उसके द्वारा कोषागार में समय से बिल जमा नहीं करने का कारण तत्कालीन परिस्थितयों जिसमें कोषागार द्वारा प्रत्येक माह की दि0–25 से दि0–05 तक बिल न लिया जाना एवं उसके पश्चात 02 दिनों का राजकीय अवकाश हो जाना एवं याची का विभागीय कार्य से लखनऊ चले जाना एवं बीमार पड़ जाना भी सम्मिलित है, किन्तु इन तथ्यों की अनदेखी की गयी है। यहां यह भी विचारणीय है कि याची द्वारा बाद में विलंब से यह बिल कोषागार में जमा कर दिये गये थे जिनका भुगतान भी संबंधित पक्ष को किया जा चुका है। इस प्रकार वास्तव में कोई हानि किसी पक्ष को नहीं हुयी है।

9 याची के द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि नियमानुसार सुस्पष्ट और मुखरित आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनिवार्य आवश्यकता है, दण्डाधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश पूर्णतः तर्कसंगत और मुखरित होना चाहिए यदि आदेश मुखरित और तर्कपूर्ण नहीं है तो इसे बनाये नहीं रखा जाना चाहिए। इस संबंध में दण्डादेश का अवलोकन किया जो कि स्पष्ट रूप से याची को बिना सुने एक–पक्षीय रूप से पारित किया गया है जो नियमानुसार न्याय संगत नहीं माना जा सकता। इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित मामलों में प्रतिपादित विधि व्यवस्था दी गयी है, जो निम्नवत् है :–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कारण और निष्कर्ष के बीच अन्तर को स्पष्ट करते हुए **Union of India Versus Mohan Lal Kapoor, (1973) 2SCC 836**, में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है:-

"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."

G.Valli Kumar Vs. Andhra Education Society 2010 (2) SCC 497, के प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है:-

"That the requirement of recording reasons by every quasi-judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facets of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."

S.N. Mukherji Vs. Union of India (1990) 4 SCC 594 में मा0 उच्चतच न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि **"The resons must be recorded while rejecting the representation, it is necesary that the reason must be clear and explicit so as to indicate that the authority has given due consideration to the point in controversy."**

उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं के आलोक में मेरा यह मत है कि चूंकि दण्डाधिकारी द्वारा याची स्पष्टीकरण प्राप्त किये बिना ही पारित किया गया है अतः यह पूर्णतः मूक दण्डादेश और यह नैसर्गिक व वैधानिक न्याय की दृष्टि से निश्चित रूप से अतार्किक तथा शून्य आदेश है जिसे बनाये नहीं रखा जा सकता।

उपरोक्त समस्त विवेचना के अनुसार याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दि0–26.02.2015 (संलग्नक सं0–1) बनाये रखने योग्य नहीं है। इस प्रकार याची की अपील पर विपक्षीगण द्वारा पारित दि0–09.04.2016 (संलग्नक सं0–2) एवं अपीलीय आदेश के विरूद्ध योजित पुनरीक्षण पर विपक्षी सं0–2 द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश दि0–05.07.2016 भी दण्डादेश के अनुवर्ती आदेश होने के कारण बनाये रखने योग्य नहीं हैं अतः उक्त आदेश भी अपास्त किये जाने योग्य हैं। तद्नुसार याची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्डादेश दि0–26.02.2015, व अपीलीय आदेश दि0–09.04.2016 तथा पुनरीक्षण आदेश दि0–05.07.2016 अपास्त किये जाते हैं। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है अपास्त किये गये दण्डादेश व अपीलीय आदेश याची को देय सेवालाभों के संदर्भ में संज्ञान में नहीं लिए जायेगें।

वाद–व्यय उभयपक्ष स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्या0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्या0)

दिनांक 23/04/2025
पूनम